राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 03/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 कमला देवी पत्नी स्व. किशोरराम 2 सरजु पुत्र स्व. किशोरराम 3 प्रकाश पुत्र स्व. किशोरराम 4 सुन्दर पुत्र स्व. किशोरराम जातियान हरीजन निवासीगण बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर 5 चित्रा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी रमेश कुमार जाति हरीजन निवासी ताउसर तहसी व जिला नागौर 6 पुष्पा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी मुकेश जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर 7 शारदा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी इन्द्रजीत निवासी हरीजन बस्ती आचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

बाबत घोषणा हक खातेदारी

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–11.07.2016

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र इस्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, वादीगण संख्या 2 से 4 आपस में सगे भाई है तथा वादीगण संख्या 5 से 7 सगी बहने है तथा वादी संख्या 1 प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 की माता है। तथा वादीगण संख्या 6 व 7 जुडवा बहने है। वादीगण के अलावा अन्य कोई भी स्व. किशोरराम का उतराधिकारी नही है।

2 यह है कि, खेताय खसरा नम्बर 850 रकबा 6.15 बीघा वाके ग्राम बासनी बेलीमा जिसकी खतौनी वादीगण के पिता व पति के नाम से है एवं खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 21.11 बीघा वाके मौजा गोवा खुर्द में स्थित है। जिसकी खतौनी वादीगण के स्व. किशोरराम व दाखा के नाम से है। नकल खतौनियां साथ वाद प्रस्तुत की जा रही है। दाखा का देहान्त आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं किशोरराम उर्फ किशोर का देहांत दिनांक 27.11.2004 को हो चुका है। उक्त खेताय पर किशोरराम एवं दाखा का एवं उनके देहांत के पश्चात वादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है और समस्त वादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त खेताय पर बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है।

3 यह है कि, वादीगण संख्या 6 से 8 सभी स्व. किशोरराम की पुत्रियां है जिनका विवाह हो चुका है और वह अपने अपने ससुराल में रहती है इसलिये उन्होने अपना अपना हिस्सा अपनी माता एवं भाईयो यानि वादीगण संख्या 1 से 5 के पक्ष में तर्क कर दिया है। तत्पश्चात वादीगण संख्या 1 से 5 के नाम से म्यूटेशन हेतु पटवारी के समक्ष कई बार निवेदन किया जा चुका है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

4 यह है कि, वादीगण के उपरोक्त खेताय की खतौनी वादी संख्या 1 के पति एवं वादीगण संख्या 2 से 7 के पिता के नाम होने के कारण ग्राम के कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा येन–केन प्रकार से उक्त खतौनी की आड में कब्जा करने की फिराक में लगे हुए है।

5 यह है कि, वाद हैतुक तब पैदा हुआ कि वादग्रस्त खेत की खतौनी वादीगण के पति एवं पिता के नाम होने एवं वादीगण के पति एवं पिता की मृत्यु हो जाने से तथा आज दिन भी वादग्रस्त खेताय की खतौनी वादीगण के पिता एवं पति के नाम होने से ग्राम के कुछ लोगो द्वारा वादीगण के बादग्रस्त खेताय पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से वादी के गैर खातेदारी के खेत में अवैध रूप से अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है तथा पटवारी के समक्ष बार बार निवेदन करने पर भी म्यूटेशन नही भरा जा रहा है। जिससे यह वाद वादीगण को पेश करना लाजमी हो गया।

6 यह है कि, वाद माननीय अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

यह है कि, अनुतोष निम्न प्रकार पारित किया जावे कि :–

1. यह है कि, खेताय खसरा नम्बर 850 रकबा 6.15 बीघा वाके ग्राम बासनी बेलीमा एवं खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 21.11 बीघा वाके मौजा गोवाखुर्द के राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या 1 से 5 का नाम अमल दरामद हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

2. यह है कि, अन्य दादर्सी भी लाभार्थ वादी को विधियत रूप से फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। प्रतिवादी पैरोकार उपस्थित। वादी वकील ने अपने बहस के समर्थन में वाद पत्र के तथ्यो पर बल दिया एवं वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 850 रकबा 6.15 बीघा मौजा बासनी बेलीमा किशोर पुत्र मीठु कौम हरीजन एवं खसरा नम्बर 316, 317 मौजा गोवाखुर्द किशोरलाल पुत्र मिदिया उर्फ मीठुराम, दाखा बेवा मिदिया उर्फ मीठुराम कौम हरीजन की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार किशोरराम की मृत्यु दिनांक 27.11.2004 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली है। वादीगण खातेदारी किशोर के वारिसान हैं।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। खेताय खसरा नम्बर 850 रकबा 6.15 बीघा मौजा बासनी बेलीमा एवं खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 21.11 बीघा मौजा गोवाखुर्द में वादीगण संख्या 1 से 5 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 11.07.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 कमला देवी पत्नी स्व. किशोरराम 2 सरजु पुत्र स्व. किशोरराम 3 प्रकाश पुत्र स्व. किशोरराम 4 सुन्दर पुत्र स्व. किशोरराम जातियान हरीजन निवासीगण बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर 5 चित्रा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी रमेश कुमार जाति हरीजन निवासी ताउसर तहसी व जिला नागौर 6 पुष्पा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी मुकेश जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर 7 शारदा पुत्री स्व. किशोरराम पत्नी इन्द्रजीत निवासी हरीजन बस्ती आचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

दावा राजस्व मुकद्दमा 03/2016 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजरी.......
....मिनजानिब मुद्दई व ....
......................मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है खसरा नम्बर 850 रकबा 6.15 बीघा मौजा बासनी बेलीमा एवं खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 21.11 बीघा मौजा गोवाखुर्द में वादीगण संख्या 1 से 5 को सहखातेदार घोषित किया जाता है।
.... लीज...मुबलिक..........
....बाबत्.............................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर..
..........................फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..को
अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.............1.............माह.........7..........
सन् 20...16...............................

दस्तखत........
ओहदा........

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्ननामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		